


दिनांक	आज्ञा पत्र
14-2-18	<p>पनायती पत्र / वकील उक्त पत्र 37                      संशोधित शीर्षक पत्र विना शादी 24                      वास्तविक कार्यवाही दिनांक 23-2-18                      को पत्र है।</p>
23-2-18	<p>पनायती प्रमुख वकील शादी / विनोद उपस्थित                      वकील अधिकारी महोदय आज 23-2-18                      को है। अतः पनायती पूर्ण बाह्यतः दिनांक 14-3-18                      को है। वकील शादी के 51-52 04/227                      CPC पत्र विना उक्त पत्र 37/ शादी विनोद</p>
14-3-18	<p>बार - बार आज्ञा दिलाई गई।                      कोर्टों एवं कोर्टों के वकील                      कोर्ट हाजिर नहीं होते।                      अतः अदम हाजरी एवं                      अदम प्रेस की आवृत्त होने                      से कोर्ट रिकॉर्ड की जाती                      है। पनायती बाद तुरंत                      तकमिल दारविल दफ्तर                      है। निर्वम शुक्राभा 03/18</p>



  
 नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राबन्ध अपील अधिकारी  
 जयपुर